तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18.12.20	वकील वादी उपस्थित। वकीलवादी लिखित कथन पेश करते जो शामिल किए गए। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24.12.20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
24.12.20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। दावा वादीगण डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली किया गया। खर्चा तदानुसार खर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली मिसल शुमार ढेक नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल जिला कोष भण्डार हो। सुनाया [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/57 ए/2011

वउनवान

1. श्यामलाल पुत्र. रतन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर
2. मोतीलाल पुत्र कारे जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर

वादीगण

बनाम

1. चन्द्रावती पुत्री रेशम पत्नी बालसिह जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
2. सोनदेई पुत्री रेशम पत्नी रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
3. सब रजिस्ट्रार साहब कठूमर जिला अलवर

तहसील कठूमर जिला अलवर — असल प्रतिवादीगण

4. शिब्बन पुत्र रतन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
5. फूल पुत्र रतन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
6. रामपति पुत्री कारे जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
7. निहालदेई पुत्री कारे जाति जाटव निवासी खेरलीरेल

तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित–

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका एडवोकेट– अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक 24.12.2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 235, 236, 237, 238, 239 240, 241 कुल किता 7 रकवा 5.58 हे. ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर में स्थित है। हम वादीगण एंव असल प्रतिवादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण मृतक दासी की संतान है जिस दासी के कुल तीन लडके रतन, कारे, परमसुख पैदा हुये। रतन के वादी श्यामलाल, फूल व शिब्बन पेदा हुये। विवादित

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आराजी में प्रतिवादनी सं0 1–2 की माता रेशम का 1/8 हिस्सा था जिसने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी के 1/8 हिस्सा की आराजी को हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादी के पिता रतन व कारे के नाम वहिस्से बराबर जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 20.08.1976 को वेचान कर दिया व वेचान मद्दे रकम प्राप्त करली व उक्त आराजी पर रतन व कारे को वहिस्सा बराबर कब्जा संभला दिया। रतन व कारे जव तक जीवित रहे तव तक अपने हिस्से की आराजी पर काविज रहकर काश्त करते रहे उनके फौत हो जाने पर हम वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। आज भी अपने हिस्से की आराजी पर हम वादीगण का कब्जा काश्त है। इस प्रकार विवादित आराजी में वादी संख्या 1 का 1/48 हिस्सा वादी संख्या 2 मोतीलाल का 1/48 हिस्सा है इसी अनुसार हम विवादित आराजी पर कब्जे का त में है। वादीगण के पिता रतन व कारे द्वारा विवादित आराजी का हिस्सा खरीदने के वाद दिनांक 06.07.1977 को वयनामा का इन्तकाल संख्या 120 वाके ग्राम खेरलीरेल दर्ज कराया था लेकिन वक्त वयनामा वन्दोवस्त हुआ था और दौराने बन्दोवस्त किसी कर्मचारी की गलती से रेशम वेवा परमसुख का नाम जमाबन्दी में लिखने से छूट गया था जिस कारण ग्राम पंचायत खेरलीरेल ने वादीगण का इन्तकाल संख्या 120 यह लिखकर खारिज कर दिया कि रेशम का नाम रेकार्ड में नहीं है लेकिन अदालत के आदेश दिनांक 29.12.2010 के आधार पर रेशम का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया। रेशम फौत हो गयी जिसकी विरासत इन्तकाल उसकी वेटी प्रतिवादनी सं0 1–2 चन्द्रवती व सोनदेई के नाम दर्ज हो गया जवकि रेशम ने अपने हिस्सा की आराजी को अपने जीवनकाल में वादी सं0 1 व वादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी के पिताओं रतन व कारे को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा विक्रय कर कब्जा करा दिया है। वाद खरीद से हम वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादनी सं0 1–2 विवादित आराजी के 1/8 हिस्से को हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम कराने की हां करती रही लेकिन वाद में प्रतिवादनी सं0 1–2 ने नाम कराने से इन्कार कर दिया। हाल गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर प्रतिवादनी सं0 1–2 हमारे कब्जे काश्त में बाधा पैदा करती है तथा उक्त आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहती है जवकि प्रतिवादनी सं0 1–2 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादनी सं0 1–2 का विवादित आराजी पर ना तो कभी कब्जा रहा और ना अव है। प्रतिवादनी संख्या 1–2 का नाम गलती से दर्ज हुआ है

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

जिसे कलमजन कराकर हम वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण श्यामलाल हिस्सानुसार खातेदारी दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने के लिये दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी अदालत श्रीमान में पेश किया है। अतः वाद वादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री किया जावे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादनी सं0 1–2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ला0 7 बाबजूद रजिस्टर्ड ए डी के हाजिर अदालत नहीं आये। पोस्टल रसीद दिनांक 15.03.2017 को अदालत हाजा में पेश हुई। बाबजूद तामील प्रतिवादीगण के हाजिर अदालत नहीं आने पर दिनांक 15.03.2017 को ही प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में प्रदर्श–1 जमाबन्दी हाल संवत् 2002 से 2009, प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श 3 वयनामा दिनांक 28.07.1976 व मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का खेरलीरेल की पेश की हैं जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी श्यामलाल पी डब्ल्यू 1, गोपाल उर्फ उत्तम पी डब्ल्यू 2 के वयान कराये जो शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादीगण ने दिनांक 18.12.2020 को अपनी लिखित रिपोर्ट अदालत हाजा में पेश की है जो संलग्न पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाह वादीगण व पटवारी की पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा पेश की गई लिखित वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 प्रदर्श–1 के विषेश विवरण के कॉलम में नामान्तकरण संख्या 1694 का नोट लगा हुआ है जिसमें अंकित है 'दिनांक 29.12.2010 न्यायालय आदेश खाते में रेशम पत्नी स्व0 प्रेमसुख 1/8 हिस्सा कौम जाटव सम्पूर्ण खाते में जोडा गया' अंकित है तथा नामान्तकरण संख्या 1756 दिनांक 21.07.2011 विरासत हिस्सा रेशम पत्नी स्व0 प्रेमसुख वहक चन्द्रावती सोनदेई पुत्रियान परमसुख कौम जाटव अंकित है। प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत् 2028 में उक्त आराजी वावत मु0 रेशम वेवा प्रेमसुख हिस्सा 1/8 अन्य साझीदारान के साथ दर्ज है। प्रदर्श–3 सत्यप्रतिलिपी वयनामा दिनांक 28.07.1976 की छाया प्रति है जिस अनुसार रेशम वेवा परमसुख द्वारा उक्त आराजी में अपना 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा रतन, कारे पुत्रान दासी जाति जाटव

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर को जरे वय लेकर व कब्जा कराकर वेचान किया गया है। मुताविक जमाबन्दी 2028 विवादित आराजी में 1/8 हिस्सा मु0 रेशम वेवा परमसुख का नाम दर्ज है जिसने अपने हिस्सा की आराजी का रतन व कारे पुत्रान दासी को जरिये रजिस्र्ड वयनामा वेचान किया है। वयनामा में उक्त आराजी को वेचान वावत रकम प्राप्त करना व मौके पर केतागण को कब्जा कराना मु0 रेशम ने स्वीकार किया है। रेशम प्रतिवादनी सं0 1–2 की मां है। वयनामा के आधार पर विवादित आराजी पर केतागण का कब्जा होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया गया लेकिन राजस्व रेकार्ड में मु0 रेशम का नाम न होने की वजह से ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण खारिज कर दिया तथा रेशम के फौत हो जाने पर उसका विरासत इन्तकाल प्रतिवादनी सं0 1–2 के नाम स्वीकार हो गया। पटवारी रिपोर्ट में भी विवादित आराजी पर प्रतिवादनी सं0 1–2 का कब्जा ना होकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। प्रतिवादनी सं0 1–2 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आई और ना अपनी ओर से कोई उज्र एतराज पेश किये। गवाह वादीगण विवादित आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा जाहिर करते है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान वादीगण व मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी हल्का के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की लिखित वहस पर मनन करने पर विवादित आराजी में प्रतिवादनी सं0 1–2 का कब्जा काश्त नहीं है राजस्व रेकार्ड में इनका नाम गलत दर्ज है। विवादित आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण के पिता कारे व रतन की जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद शुदा है वाद खरीद से वादीगण एंव तरतीवी प्रतिवादीगण का लगातार कब्जा प्रमाणित है।

अतः विवादित आराजी में वादी संख्या 1, 1/48 हिस्से का, वादी संख्या 2, 1/48 हिस्से का एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ला0 7, 1/48–1/48 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः दावा वादीगण डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 235 रकवा 4 वीघा (1.01 हे.), 236 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा (0.59 हे.), 237 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा (0.57 हे.), 238 रकवा 3 वीघा 6 विस्वा (0.83 हे.), 239 रकवा रकवा 3 वीघा 6 विस्वा (0.83 हे.) 240 रकवा रकवा 2 वीघा 5 विस्वा (0.57 हे.), 241 रकवा 14 विस्वा (0.18 हे.) कुल किता 7 रकवा 5.58 हे. ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर का वादी संख्या 1 को 1/48 हिस्सा वादी संख्या 2 को 1/48 हिस्सा का एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

4 ला0 7 को 1/48–1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादनी सं0 1–2 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

24.12.20

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 24.12.2020 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.12.20

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री अनिलकुमार सिंघल आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/57 ए/2011

वउनवान

1. श्यामलाल पुत्र. रतन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर
2. मोतीलाल पुत्र कारे जाति जाटव निवासी खेरलीरेल तहसील कठूमर

डिक्रीदारान

बनाम

1. चन्द्रावती पुत्री रेशम पत्नी बालसिह जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
2. सोनदेई पुत्री रेशम पत्नी रामस्वरूप जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
3. सव रजिस्ट्रार साहव कठूमर जिला अलवर

तहसील कठूमर जिला अलवर मदयूनान

4. शिब्बन पुत्र रतन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
5. फूल पुत्र रतन जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
6. रामपति पुत्री कारे जाति जाटव निवासी खेरलीरेल
7. निहालदेई पुत्री कारे जाति जाटव निवासी खेरलीरेल

तहसील कठूमर जिला अलवर

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 235 रकवा 4 वीघा (1.01 हे.), 236 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा (0.59 हे.), 237 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा (0.57 हे.), 238 रकवा 3 वीघा 6 विस्वा (0.83 हे.), 239 रकवा रकवा 3 वीघा 6 विस्वा (0.83 हे.) 240 रकवा रकवा 2 वीघा 5 विस्वा (0.57 हे.), 241 रकवा 14 विस्वा (0.18 हे.) कुल किता 7 रकवा 5.58 हे. ग्राम खेरलीरेल तहसील कठूमर का वादी संख्या 1 को 1/48 हिस्सा वादी संख्या 2 को 1/48 हिस्सा का एंव तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ला0 7 को 1/48–1/48 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोशित किया जाकर राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादनी सं0 1–2

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज करे।

आज दिनांक 24.12.2020 को यह पर्चा डिक्टी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

अनिलकुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
24.12.20